



**International Environmental  
Law Research Centre**

## **Uttarakhand Minor Mineral (Concession) (Amendment) Rules, 2017**

This document is available at [ielrc.org/content/e1722.pdf](http://ielrc.org/content/e1722.pdf)

**Note:** This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 1582/VII-1/2017/31ख/17  
देहरादून: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 97 वर्ष 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 में अग्रेतर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् –

**उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017**

**संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।  
(3) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।

**नियम 23 का संशोधन**

- उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नियम 23 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् –

**स्तम्भ-1**

**वर्तमान नियम**

23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :

(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, घोषणा कर सकती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में पांच वर्ष से अधिक के लिये नीलाम करने या निविदा द्वारा नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जायेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि एक बार में स्वस्थाने चट्टान किसी के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में अवधि पांच वर्ष और नदी तल खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में एक वर्ष होगी।

**स्तम्भ-2**

**इतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

23. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई-नीलाम / ई-निविदा/ई-निविदा एवं सह ई-नीलामी पट्टा के लिये क्षेत्र की घोषणा :

(1) राज्य सरकार या निदेशक सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा एवं ई-नीलाम/ई-निविदा/ई-निविदा एवं सह ई-नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा, घोषणा कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई- निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थाने प्रकृति के औद्योगिक उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) के खनन क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 2.00 है0 से 5.00 है0 हेतु 10 वर्ष, 5.00 है0 से 10 है0 तक 15 वर्ष तथा 10 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र अर्थात् राज्य सरकार द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक (ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो) के पक्ष में निर्गत

ऐसा आदेश, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र हेतु निर्धारित समयावधि में वांछित अनुमतियां प्राप्त किये जाने का उल्लेख हो, जारी होने की तिथि से की जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिला अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथास्थिति, नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति यथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल क्षेत्रों हेतु), वन विभाग या अन्य कोई विभाग आवश्यक हो तो, निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी तथा जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को, ई-नीलाम/ई-निविदा/ई-निविदा एवं सह ई-नीलामी हेतु प्रेषित किया जायेगा।

**नियम 24 का संशोधन 3** मूल नियमावली के नियम 24 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

### स्तम्भ-1

#### वर्तमान नियम

24. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा से क्षेत्र का वाप्स लिया जाना :

राज्य सरकार घोषणा, द्वारा नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

**नियम 25 का संशोधन 4** मूल नियमावली के नियम 25 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

### स्तम्भ-1

#### वर्तमान नियम

25. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :

जिला अधिकारी, नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम०एम० 5 में रखवायेगा।

### स्तम्भ-2

#### एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

24. ई-नीलाम/ई-निविदा/ई-निविदा, सह ई-नीलामी पट्टा से क्षेत्र का वाप्स लिया जाना :

राज्य सरकार घोषणा, द्वारा नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

### स्तम्भ-2

#### एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

25. नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई-नीलामी पट्टा के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :

खान अधिकारी/खान निरीक्षक नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम०एम० 5

में रखवायेगा।

**नियम 26 का संशोधन 5** मूल नियमावली के नियम 26 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

### स्तम्भ-1

#### वर्तमान नियम

##### 26. पट्टे के देने पर निर्बन्धन :

किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है या जिसके खिलाफ खनिज देय बकाया है, नीलाम की बोली बोलने की या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

### स्तम्भ-2

#### एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

##### 26. पट्टे के देने पर निर्बन्धन :

किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है, जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, जिसने अपने आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत न की हो। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी, जो किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड/डिबार्ड नहीं है, इस आशय का एक शपथ पत्र भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त फर्म एवं कम्पनी के मामले में, जिसने पेन कार्ड जी०एस०टी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो, नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा/ई-नीलाम /ई-निविदा/ई-निविदा एवं सह ई-नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**नियम 27 का संशोधन 6** मूल नियमावली के नियम 27 में नियम 27ख के पश्चात एक नया नियम 27ग निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

#### 27.ग ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे की स्वीकृति की प्रक्रिया :—

##### 1—ऑन लाईन पंजीकरण की कार्यवाही :

(1) राज्य क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित उप खनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) लाटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कॉर्पोरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न की जायेगी। खनिज लाटों का आवंटन ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा।

(2) उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) पट्टा स्वीकृत होने की समस्त कार्यवाही करने हेतु शासन, निदेशालय व जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे, जिन्हें डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे व उनके द्वारा आनलाईन कार्यवाही की जायेगी।

(3) उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) पट्टा संबंधी आशय पत्र, शासनादेश तथा पट्टाविलेख में यूनीक आई०डी० नम्बर होगा जिसके आधार पर विभिन्न स्तर के नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4) इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना

आवश्यक है।

(5) आवेदक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड की वेबसाइट [www.dgm.uk.gov.in](http://www.dgm.uk.gov.in) में जाकर अपने आनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

(6) पंजीकरण हेतु निजी व्यक्ति/निजी व्यक्तियों की समिति /फर्म/कम्पनी को विभागीय पोर्टल में जाकर ऑन लाईन पंजीकरण प्रपत्र भरकर आवश्यक वांछित अभिलेख स्कैन कर यथा स्थान अपलोड करना होगा व पंजीकरण शुल्क 5,000 (पांच हजार) + जी०एस०टी सहित+ आयकर, विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त पंजीकरण प्रपत्र सबमिट करना होगा। ऑन लाईन प्रपत्र सबमिट होने के उपरान्त आवेदक को यूनीक नम्बर स्वतः आवंटित हो जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रपत्रों की जांच करने के उपरान्त ऑन लाईन स्वीकृति प्रदान करते ही आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर लॉगइन करने हेतु स्वतः जनित यूजर आई०डी० तथा पासवर्ड एस०एम०एस० के माध्यम से जारी कर दिया जायेगा।

(7) पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखः पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल [www.dgm.uk.gov.in](http://www.dgm.uk.gov.in) पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का मतदाता पत्र।

(दो) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति व फर्म के मामले में भागीदारों के इस आशय का शपथ पत्र कि समिति या कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

- (चार) आवेदक के पैन कार्ड की प्रति।  
 (पांच) आवेदक के जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।  
 (छ:) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,  
 (सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहाँ इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।  
 (आठ) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण। कम्पनी के मामले में आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रति।  
 (नौ) किसी भी राज्य में खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
- (8) पंजीकृत बोलीदाता को विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अपडेट रखने की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पंजीकृत बोलीदाता को चरित्र प्रमाण पत्र एवं खनन अदेयता प्रमाण पत्र आदि सदैव अद्यतन रखने आवश्यक होंगे अन्यथा की स्थिति में पंजीकृत बोलीदाता का पंजीकरण स्वतः निलम्बित हो जायेगा तथा ऐसा निलम्बित पंजीकृत बोलीदाता ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः पंजीकृत बोलीदाता को अपना पंजीकरण समय-समय पर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।
- (9) पंजीकरण का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क ₹0 1,000 (एक हजार)+ जी0एस0टी सहित+ आयकर, विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन देय होगा।
- (10) ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख एवं धनराशि :
1. शुल्क- ई-निविदा सह ई-नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी खनिज लाट हेतु निर्धारित शुल्क मैदानी क्षेत्रों के लिये ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख मात्र) तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये ₹50,000/- (₹0 पचास हजार मात्र) विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कराकर एवं GST व आयकर आगणित कर संबंधित विभागों के लेखाशीर्षक में जमाकराकर चलान/रसीद की स्कैन प्रति अपलोड कर प्रेषित की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन

लॉटवार पृथक—पृथक जमा किया जाना होगा।

2. धरोहर राशि (Earnest Money): किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड Earnest Money जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा एवं उपखनिज (सोपरस्टोन को छोड़कर) की वर्तमान प्रचलित रायल्टी दर का गुणा कर आगणित की जायेगी। उपखनिज क्षेत्रों हेतु प्री बिड Earnest Money उपरोक्त आगणित धनराशि की 25 प्रतिशत होगी।

उदाहरणार्थः— धरोहर राशि (Earnest Money) = खनिज क्षेत्र की अधिकतम खनन योग्य आंकलित मात्रा  $\times$  प्रचलित रॉयल्टी दर का 25 प्रतिशत।

3. हैसियत प्रमाण पत्र— वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा का तत्समय प्रचलित रायल्टी के गुणांक का 25 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार प्रारूप में देय होगा :—

जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण—पत्र (Solvency Certificate) अथवा बैंक गारण्टी क्षेत्र की वार्षिक आंकलित खनन योग्य अधिकतम मात्रा पर प्रचलित खनिज रॉयल्टी के गुणांक का 25 प्रतिशत के बराबर।

उदाहरणार्थः—हैसियत=खनिज क्षेत्र की अधिकतम खनन योग्य आंकलित मात्रा  $\times$  प्रचलित रॉयल्टी दर का 25 प्रतिशत।

या

यदि हैसियत प्रमाण—पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण—पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्यय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है

या

हैसियत प्रमाण—पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी

या

यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति

नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है या

हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

#### (11) ई—निविदा सह ई—नीलामी की प्रक्रिया:-

विज्ञप्ति का प्रकाशन : घोषित रिक्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा ई—निविदा सह ई—नीलामी के माध्यम से खनन पट्टे पर दिये जाने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्तिएसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्र जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र स्थित हो, प्रकाशित की जायेगी तथा ई—निविदा सह ई—नीलामी हेतु ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा विज्ञप्ति को ई—नीलामी पोर्टल “uktenders.gov.in” के साथ—साथ विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग के मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय तथा तहसील के सूचना पट पर विज्ञप्ति चस्पा की जायेगी जिसमें वह खनन क्षेत्र अवस्थित है। राष्ट्रीय नीलामी के प्रकरणों में दो दैनिक सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। प्रथम चरण में ई—निविदा की अधिकतम निकासी मात्रा का आगणन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिकतम आगणित निकासी मात्रा की 50 प्रतिशत मात्रा को न्यूनतम निकासी मात्रा कहा जायेगा।

#### प्रथम चरण :-

- प्रथम चरण में ई—निविदा की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी जिस हेतु इच्छुक बोलीदाता द्वारा विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत ई—निविदा आनलाइन प्रस्तुत की जानी होगी। विज्ञप्तिकरण में उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्र की न्यूनतम निकासी एवं अधिकतम निकासी की मात्रा वर्तमान एक खनन सत्र हेतु प्रकाशित की जायेगी।

2. प्रथम चरण में, इच्छुक निविदादाता द्वारा आँन लाईन ई-निविदा हेतु न्यूनतम निकासी मात्रा से अधिक मात्रा परन्तु अधिकतम निकासी मात्रा से अनाधिक निविदा ही अंकित की जा सकती है। न्यूनतम निकासी मात्रा से अधिक मात्रा अंकित करने वाले तीन निविदादाताओं का होना आवश्यक होगा। न्यूनतम घोषित मात्रा से अधिक मात्रा अंकित करने वाले निविदादाताओं की संख्या अधिक होने की दशा में उच्चतम पांच मात्रा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं को सफल घोषित किया जायेगा।
  3. किसी चुगान क्षेत्र के लिए उच्चतम पांच, अधिकतम मात्रा दी गयी निविदा वाले, निविदादाताओं का निर्धारण किये जाने में यदि किसी निश्चित उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्रा के लिए दो या दो से अधिक निविदायें प्राप्त होती हैं तो उसके अनुसार अधिकतम पांच उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्राओं के लिए निविदा देने वाले सभी निविदादाताओं को अगले चरण हेतु Qualify किया जायेगा।
  4. क्षेत्रफल के आधार पर बिन्दु संख्या -ख (8) में वर्गीकृत वर्गों में वांछित न्यूनतम वर्णित अर्ह बोलीदाता उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्र अगले उच्च वर्ग के बोली दाता हेतु 07 दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रथम चरण की ई-निविदा प्रक्रिया के उपलब्ध होगा। अगले उच्च वर्ग के अर्ह बोलीदाता द्वारा प्रतिभाग किये जाने ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया पुनः सम्पन्न की जायेगी।
  5. प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर से गुणा कर द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) निर्धारित किया जायेगा।
- उदाहरणार्थ :-** न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त सर्वोच्च घोषित मात्रा  $\times$  तत्समय प्रचलित रायल्टी की दर।
6. उच्चतम पांच उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) मात्रा प्रस्तुत करने वाले सफल

निविदादाताओं का निर्धारण कर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

7. अन्य ई-निविदादाताओं की प्री बीड अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

#### द्वितीय चरण—

1. प्रथम चरण के सफल ई-निविदादाता, द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम बोली की धनराशि (Floor price) के ऊपर ऑन लाइन नीलामी बोली, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि एवं समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करेंगे। इस चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण के सफल घोषित ई-निविदादाता अपने यूजर आईडी एवं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से लागइन कर द्वितीय चरण की ई-नीलामी प्रक्रिया में आनलाइन प्रतिभाग कर सकेंगे।
2. प्रत्येक बोलीदाता को आधार मूल्य (Floor price) का 0.5 (दशमलव पांच) प्रतिशत कीवृद्धि के साथ अग्रेतर उच्चतर बोली प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।
3. सभी प्रतिभागी बोलीदाताओं की पहचान परस्पर गुप्त रखी जायेगी तथा ई-नीलामी की समर्त प्रक्रिया की उच्चतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी जो गतिशील रहेगी एवं अगली उच्चतर बोली प्राप्त होते ही परिवर्तित होती रहेगी। एक समय की उच्चतम बोली सभी प्रतिभागियों को उनके स्क्रीन पर प्रदर्शित होती रहेगी। प्रतिभागी परस्पर उच्चतर बोलियां प्रस्तुत कर पूर्व निर्धारित समयान्तर्गतकर्त्तव्य बार प्रतिभाग कर सकते हैं।
4. ई-नीलामी की ऑन लाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर समय-समय की अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दी जा सकती है। पूर्व निर्धारित समय पूर्ण होते ही बोली की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। परन्तु, बोली के पूर्व निर्धारित समय के अन्तिम पांच मिनट के अन्तर्गत यदि कोई उच्चतर बोली प्राप्त होती है, तो नीलामी की बोली का समय स्वतः अग्रेतर पांच मिनट की समयावधि आगणित कर उस अवधि तक के लिए बढ़ जायेगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक पांच मिनट के अन्तराल के अन्तर्गत में कोई अन्य अग्रेतर उच्च बोली प्राप्त नहीं होती है।

5. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त ई-नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को उच्चतम बोलीदाता (H1) घोषित किया जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं को अवरोही कम में H2, H3, H4....घोषित किया जायेगा। ई-निविदा सह ई-नीलामी का परिणाम विभागीय बैंकसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

**नियम 28 का संशोधन 7** मूल नियमावली के नियम 28 के पश्चात एक नया नियम 28क निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

—

**28.क— ई-निविदा सह ई नीलामी से पट्टे का दिया जाना :**

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन-लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिकम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिकम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्य दिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन-लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक

अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।

4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता (H1) द्वारा प्रस्तर संख्या (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जानें के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटीक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुये उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
5. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच के उपरान्त तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित ऑनलाइन आख्या शासन को प्रेषित की जा सकेगी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में ऑनलाइन “आशय पत्र” जारी किया जा सकेगा। आशय पत्र क्षेत्र का नियम-17 के प्राविधानानुसार सीमाबद्धन किये जाने तथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति, वन भूमि हस्तान्तरण (यदि आवश्यक हो ) एन०बी०डब्ल्यू०एल० (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु 50.00 हौ० तक के क्षेत्रफल हेतु आशय पत्र ०६ (छ:) माह की अवधि का एवं 50.00 हौ० क्षेत्रफल से अधिक हेतु ०१ (एक) वर्ष की अवधि का निर्गत किया जायेगा।
6. आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि के संबंध में सर्वप्रथम प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी अनुमति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।
7. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर०क्य०पी० से खनन योजना तैयार कराकर व निर्धारित लेखा शीर्षक में खनन योजना अनुमोदन शुल्क जमा कर निदेशक को आनलाइन प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक द्वारा सात दिन के अन्दर खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।
8. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन पट्टा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

- मंत्रालय, भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।
9. राष्ट्रीय पार्क के संबंध में, तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार, दूरी के निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्रों हेतु एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
  10. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तरात् पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदिजब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रुकी हो, उससे अग्रेतर कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
  11. शासन, मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
  12. सफल बोंलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेतर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
  13. प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन, संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त सौ मीटर

की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाइट मानचित्र संलग्न करना होगा जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एवं सैटेलाइट मानचित्र पर यथास्थिति राजस्व, बन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समरत मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

14. प्रोरेक्टिव पट्टाधारक के अलावा द्वितीय चरण के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोड़कर)की प्री-बीड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।
15. (क) राज्य में अधिकतम पाँच खनन पट्टे या 400 है० से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा व 400 है० पूर्ण होने पर अवशेष पट्टों हेतु अहता समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेंगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों के लिए H2 व कोटिक्रमानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 है० से अधिक है तो उक्त दशा में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी आदि को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।
- (ख) एक व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा आगणित अधिकतम आधार मूल्य के 25 प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों से कम आगणित पायी जाती है तो

उपरोक्तानुसार शेष सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी तथा ऐसे अवशेष खनन पट्टों के प्रस्तर 9 के अनुसार अग्रेतर आवंटन कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

16. आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि "धरोहर धनराशि (Security Money)" समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री-बिड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की रकैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वैबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अग्रेतर समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
17. (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्वीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।  
 (ख) पचास हैक्टेयर के प्रोस्पैक्टिंग पट्टाधारक के आशय पत्र का छ: माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के आनलाईन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छ: माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रेतर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई-नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व

प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा कराना होगा। उक्त प्रक्रिया में अग्रेतर वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसी प्रकार 50 हैबटेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने पर ई-निलामी की उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक के रूप जमा कराना होगा। निदेशक द्वारा आवेदन पत्र का आनलाइन परीक्षण कर दस कार्य दिवसों के अन्तर्गत अपनी संस्तुति/असंस्तुति सहित आख्या आनलाइन शासन को प्रेषित की जा सकेगी। निदेशक की संस्तुति/असंस्तुति पर शासन द्वारा आनलाइन आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व में जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैंक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।

18. आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार की कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा कमियों एवं आपत्तियों का निरकारण आन लाईन किये जाने के उपरान्त, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की ऑन लाईन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा, खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत कुल अवधि में से अवशेष अवधि हेतु, खनन पट्टा स्वीकृति

सम्बन्धी आदेश आन लाईन निर्गत किया जा सकेगा।

**नियम 29 का संशोधन 8 (एक)** मूल नियमावली के नियम 29 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

**स्तम्भ-1  
वर्तमान नियम**

**29. पट्टा विलेख का निष्पादन :**

(1) जब कोई बोली या प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाय तो नीलाम पट्टे के सम्बन्ध में प्रपत्र एम०एम० 6 में तथा निविदा या नीलाम एवं निविदा पट्टा के सम्बन्ध में लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जैसा यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति इस निमित्त अनुमति दे, पट्टा विलेख निष्पादन किया जायेगा। यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्टा विलेख बोली बोलने वाले या निविदाकार के किसी चूक के कारण निष्पादित न किया जाय तो बोली या निविदा स्वीकार करने का आदेश प्रतिसंहित हो जायेगा और उस दशा में बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(2) पट्टे की अवधि की सगणना बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा बोली या निविदा द्वारा स्वीकृत-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से की जायेगी।

(3) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**29. पट्टा विलेख का निष्पादन :**

(1) सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी। निदेशक द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत पट्टाविलेख तैयार कर ऑनलाइन प्रोसेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑनलाइन होगी। प्रोसेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां संबंधित जिलाधिकारी को हस्ताक्षर किये जाने हेतु जनपदीय विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, विभागीय अधिकारी हस्ताक्षर के उपरान्त जिलाधिकारी को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टाविलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(2) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत हाने की तिथि से की जायेगी।

(3) यथास्थिति, जिलाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा विलेख को पट्टाधारक द्वारा उक्त पट्टा विलेख का सम्बन्धित जनपद में पंजीकृत कराकर हार्ड एवं स्कैन प्रति जनपदीय विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जनपदीय विभागीय अधिकारी द्वारा स्कैन कॉपी निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रेषित करनी होगी तथा निदेशक द्वारा शासन को संसूचित किया जायेगा।

**(दो)** मूल नियमावली के नियम 29 के पश्चात एक नया नियम 29क निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

**29.क खनिज निकासी हेतु सामान्य अनुदेश :-**

- 1- नदी तल उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत सतह से अधिकतम 1.5 मी० की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक खनिज की मात्रा का आंकलन/निर्धारण करते हुए क्षेत्र में खनन/चुगान किया जायेगा।
  - 2- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल उपखनिजों के एवं स्वस्थानें चट्टान (सोपस्टोन को छोड़कर) से निकलने वाली निर्माण सामग्री के चुगान/खनन पट्टा अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। स्वस्थानें प्रकृति के औद्योगिक उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) के खनन क्षेत्र, जिनका क्षेत्रफल 2.00 है० से 5.00 है० हेतु 10 वर्ष, 5.00 है० से 10 है० तक 15 वर्ष तथा 10 है० से अधिक क्षेत्रफल हेतु 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे।
  - 3- पट्टे की अवधि की गणना आशय पत्र जारी होने की तिथि से की जायेगी।
  - 4- ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि प्रथम वर्ष हेतु पट्टा धनराशि होगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्राप्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की कुल मात्रा व बोली की धनराशि के आधार पर उक्त खनन क्षेत्र के उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) की प्रतिटन देय धनराशि निर्धारित होगी।
  - 5- खनन योजना व पर्यावरणीय अनुमति आदि में संबंधित क्षेत्र की खनिज मात्रा उच्चतम बोली से भिन्न होने की स्थिति में बिन्दु संख्या ख(4) के अनुसार आगणित प्रतिटन देय रायल्टी के द्वारा पट्टा धनराशि पट्टे हेतु आगणित की जायेगी।
  - 6- खनन पट्टा के अनुकर्त्ता वर्षों में पिछले वर्ष की पट्टा धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उस वर्ष हेतु पट्टा धनराशि आगणित की जायेगी व बिन्दु ख (4) के अनुसार प्रतिटन रायल्टी धनराशि निर्धारित होगी।
  - 7- नदी तल के क्षेत्र हेतु राज्य में रिक्त साधारण बालू, बजरी, बोल्डर के खनन/चुगान लॉटों को निमानुसार वर्गीकृत किया जाता है :-
- (एक) पर्वतीय क्षेत्र : पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर पिथौरागढ़, जिला ठिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व तहसील धनोल्टी का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का

मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णगिरी का मैदानी भाग छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाहूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी क्षेत्र छोड़कर) सम्मिलित हैं।

(दो) मैदानी क्षेत्र : मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व धनोल्टी का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णगिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाहूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मिलित हैं।

8- राज्य के नदी तल में साधारण बालू बजरी, बोल्डर क्षेत्र तथा स्वस्थाने चट्टान युक्त रिक्त उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) क्षेत्रों की ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया में 5.00 है० तक क्षेत्रफल के खनन लाट जनपद के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एकट में पंजीकृत हो, 5.00 है० से 50.00 है० तक क्षेत्रफल के खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी ऐकट/कम्पनीय ऐकट अथवा पार्टनरशिप ऐकट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा 50.00 है० से अधिक क्षेत्रफल के खनन लाट भारतीय नागरिकों/कम्पनियों/फर्म/सोसाइटी आदि को आवंटित किये जायेंगे।

9- नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू बजरी, बोल्डर हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रथम अनुसूची में निर्धारित रायल्टी की दर का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु लागू होगी।

10- खनिजों की निकासी वार्षिक निर्धारित मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई-रवन्ना के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु पटटाधारक को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के ई-रवन्ना वेब एप्लिकेशन पर आन लाईन पंजीकरण कराया जाना होगा।

11- खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली निजी भूमि के भूस्वामी को उसकी भूमि के क्षेत्रफल पर अनुमत गहराई के सापेक्ष आगणित मात्रा पर प्रतिटन

निर्धारित नीलामी धनराशि से गुणाकर प्राप्त धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में पट्टाधारक द्वारा देय होगा। किसी भी वाद की स्थिति में पट्टाधारक द्वारा प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी जिसका वितरण राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने उपरान्त राजस्व विभाग के माध्यम से किया जायेगा व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को सूचित किया जायेगा।

**12-** खनिज निकासी हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट रायल्टी की दर के अतिरिक्त निम्न देयकों का भुगतान किया जाना होगा :—

- (क) रिवर ट्रेनिंग शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)
- (ख) क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)
- (ग) विकास शुल्क एवं रोड शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)

**13-** पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउण्डेशन (DMF) शुल्क आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

**14-** खनिजों की निकासी निदेशक द्वारा निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई—रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

**15-** पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर कार्यवाही रथगित रहेगी।

**16-** पट्टा धारक स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा के निकासी गेट पर स्वयं के व्यय से कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रदेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई—प्रपत्र एम०एम०—११ पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी०

स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकॉर्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

- 17- पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2001 के नियम 59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- 18- नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्षन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
- 19- स्वीकृत क्षेत्र के निकासी गेट पर पट्टाधारक का नाम व पता, पट्टाधारक का संपर्क/दूरभाष नं0, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृत मात्रा, पट्टे की अवधि तथा खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- 20- पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
- 21- स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
- 22- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा उपखनिज (सोपस्टोन को छोड़कर) खनन पट्टा स्वीकृति की उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन के संबंध में बोलीदाता के असंतुष्ट होने की दशा में ऐसे बोलीदाता द्वारा अपील शुल्क रु0 5,000.00 का भुगतान विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करा कर शासन में अपील की जा सकेगी।
- 23- पट्टाधारक द्वारा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का

अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

- 24- ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो ऐसे प्रकरणों पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों/ अनुदेशों का अनुसरण कर व्याख्यापित करते हुये निर्णय दे सकेगा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्व पक्षों को मान्य होगा।

**नियम 30 का संशोधन 9** मूल नियमावली के नियम 30 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के रथान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

**स्तम्भ-1**

**वर्तमान नियम**

**30. पट्टा का रजिस्टर :**

खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम०एम०-७ में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**30. पट्टा का रजिस्टर :**

खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम०एम० 7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।

आज्ञा से,

(आमन्द बद्धन)  
प्रमुख सचिव